तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उ॰नं॰ 206/2024 गोपालराम शर्मा v/s गोपालराम वगै॰	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि॰ वादी उपस्थित। अधि॰ वादी ने गोपाल राम शर्मा का शपथ पत्र पेश किया जो शा॰ मि॰ है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी शेष दिनांक 14/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	गोपाल शर्मा
14/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि॰ वादी उपस्थित। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि॰ वादी उपस्थित। पत्रा॰ वास्ते बहस दिनांक 26/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि॰ वादी उपस्थित। पत्रा॰ पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रा॰ वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि॰ वादी उपस्थित। वादपत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा॰ मि॰ है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांक:– 141 / 2022

1. गोपाल राम शर्मा पुत्र रामचरन लाल जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन।

.........वादी

बनाम

1. गोपालराम पुत्र देवीसिंह
2. सुभाष पुत्र गोपाल राम
3. साहब सिंह पुत्र दुलीचन्द
4. गौरी पुत्र साहब सिंह समस्त जातियान नाई निवासीयान सिकरौदा तहसील उच्चैन

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–28.05.2025

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 502,503,504 रकबा 1.51है0 बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी के पूर्वजों की छोडी हुई जायदाद है उक्त आराजी का उपयोग उपभोग वादी पिता के जीवन काल से लेकर आज तक बिना किसी विवाद के करते चला आ रहा है विवादित आराजी से वादी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार से आज तक किसी भी हैसियत से सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। वादी दिनांक 11.07.2022 को अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था तब प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और आराजी में खडी फसल को नष्ट कर दिया एवं उक्त आराजी के तरफ पश्चिम आराजी खसरा नम्बर 488 किस्म नरी की आड में आराजी पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गये लेकिन वादी के विरोध के कारण उस रोज प्रतिवादीगण अवैध रूप से जबरन कब्जा करने में सफल नहीं हो सके लेकिन वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देकर गये। जिसकी लिखित तहरीर वादी ने पुलिस थाना उच्चैन में दी है। प्रतिवादीगण पुनः दिनांक 22.08.2022 को विवादित आराजी पर आ गये एवं वादी को बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण वादी/प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र इस न्यायालय में पेश कर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधज्ञा से पावंद फरमाये जाने का निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 502,503,504 बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन में वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपूर)

करें एवं विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा ना करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर अदालत नहीं आये जिसके कारण इनके विरूद्ध दिनांक 28.08.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभापक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादी के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्वन्ध सरोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी के तरफ पश्चिम में आराजी खसरा नम्वर 488 किस्म नरी की आड में वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एवं वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं शपथपत्र आदि का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये ना ही प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब पेश किया गया है। वादी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अतः वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

—:अतः आदेश है:—

वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 502,503,504 रकवा 1.51है0 (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075—2078) बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन में वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें एंव विवादित आराजी के किसी भी भाग पर अवैध रूप से कब्जा ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... उच्चैन, भरतपुर

व इजलास .... सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

गोपाल राम शर्मा .... बनाम .... गोपालराम वगैरा

दावा बाबत .... धारा 188 RTA

मुकदमा नं .... 206/2024 .... सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू .... हमारे

व हाजरी .... श्री मुकेश चन्द शर्मा एड0 .... मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि .... वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0न0 502, 503, 504 रकबा 1.51 है0 (मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075-2078) वाकै ग्राम सिकरौदा तह0 उच्चैन में वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे एवं विवादित आराजी के किसी भी भाग पर अवैध रूप से कब्जा ना करे।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..28.. माह ..05.. वर्ष ..2025..

को जारी की गई।

दस्तखत .... Bharti

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 141 / 2022

1. गोपाल राम शर्मा पुत्र रामचरन लाल जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन।
.........वादी

बनाम

1. गोपालराम पुत्र देवीसिंह
2. सुभाष पुत्र गोपाल राम
3. साहब सिंह पुत्र दुलीचन्द
4. गौरी पुत्र साहब सिंह समस्त जातियान नाई निवासीयान सिकरौदा तहसील उच्चैन

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)